फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :– 51/2018

मथुरालाल बनाम किशनलाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13-12-18	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित है पक्षकारान वकील की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया तो दावा वादी तकासमें का है जो पूर्व में दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 16.04.2007 के आधार पर दिनांक 21.04.2007 को न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की गयी जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व मंडल अजमेर में अपील दायर की गयी जिसे दिनांक 28.04.2016 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री को निरस्त पुनः पत्रावली उभय पक्षकारान के विवेचन दस्तावेजात के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकन निर्णय पारित करें जिसकी पालना में वाद पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर पक्षकारान को जरिये अदालती नोटिस तलब किया गया तो पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण मय वकील हाजीर आये व दिनांक 28.11.2016 को तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी में पत्रावली नियत की गयी वादी का शपथ पत्र पेश होने पर जिरह की जाकर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 06.11.2017 को पत्रावली नियत की गयी। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.04.2018 को साक्ष्य प्रतिवादी का शपथ पत्र पेश होने के बाद पत्रावली लोक अदालत कैम्प राडोली में दिनांक 31.05.2018 को पेश हुई लोक अदालत केम्प में पक्षकारान हाजीर आये व पक्षकारान द्वारा दोनो पक्षो की मौजूदगी में तकासमा किये जाने की कुरेजात रिपोर्ट बनाये जाने की सहमति दिये जाने	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

		पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पक्षकारान द्वारा सहमति दिये जाने पर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तकासमा मीटस एन्ड बाउण्डस के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि दोनो पक्षो की मौजूदगी में तकासमा प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करे। जिसकी पालना में तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा दिनांक 18.07.2018 को कुरेजात रिपोर्ट पेश की गयी उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर दिनांक 27.08.2018 प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति पेश की गयी जिसका जवाब वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर बहस कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान वकील की सुनी गयी व कुरेजात अवलोकन कर कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कुरेजात रिपोर्ट में उठाई गयइ आपत्ति सही प्रतीत होने से कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 22.10.18 को स्वीकार कर पुनः कुरेजात रिपोर्ट भेजने हेतु तहसीलदार को लिखा गया जो दिनांक 22.04.2019 को कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई, उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर दिनांक 27.05.2019 को पुनः आपत्ति पेश की गयी उक्त आपत्ति को दिनांक 28.08.2019 को स्वीकार किया जाकर पुनः तहसीलदार को आपत्तियों का निराकरण करते हुये पुनः कुरेजात रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा पक्षकारों की आपसी सहमति कर दिनांक 29.11.2019 को कुरेजात रिपोर्ट पुनः भिजवायी गयी जिस पर पक्षकारों की बहस कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गयी तो पक्षकारान वकीलो ने कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान की सहमति से बनाये जाने से कुरेजात रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुये मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के अनुसार दावा वादी अन्तिम डिक्री किये जाने से सहमति जाहिर की गयी। पक्षकारान वकील बहस पर गोर किया व कुरेजात रिपोर्ट का परीक्षण किया गया तो कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान की सहमति से बनाये जाकर भिजवाये गये है जिन पर किसी के द्वारा आपत्ति नही कर डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर किये जाने से दावा वादी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 के अनुसार डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कोहल्या तहसील कोटखावदा के वादग्रस्त खसरा नम्बर 722/2 रकबा 0.04 है0 722/3 रकबा 0.05 है0 731/1 रकबा 0.05 है0 किता 3 रकबा 0.14 है0 भूमि अनोखी देवी पत्नि मदनलाल हिस्सा 83/140 जाति रेगर सा0 देह, किशनलाल पुत्र मांग्या हिस्सा 57/140 जाति रेगर सा0 देह के खाते में रहेगी व खसरा नम्बर 722/1 रकबा 0.09 है0 723 रकबा 0.04 है0 731/2 रकबा 003 है0 किता 3 रकबा 0.16 है0 भूमि कालू पुत्र श्रवण हिस्सा 1/4 जाति रेगर सा0 देह, धर्मराज पुत्र श्रवण हिस्सा 1/4 जाति रेगर सा0 देह नाबालिग बिल्ला पुत्री श्रवण संरक्षक सरपरस्त माता गुलाब हिस्सा 1/4 जाति रेगर सा0 देह गुलाब पत्नि श्रवण हिस्सा 1/4 जाति रेगर सा0 देह के खाते में रहेगी व खसरा नम्बर 722/4 रकाब 0.03 हे0 724 रकबा 0.03 है0 725 रकबा 0.04 है0 726 रकबा 0.04 है0 727 रकबा 0.04 हे0 728 रकबा 0.05 है0, 729 रकबा 0.16 है0 730 रकबा 0.07 है0 731 रकबा 0. 01 है0 732 रकबा 0.16 है0 733 रकबा 0.14 है0 734 रकबा 0.14 है0 735 रकबा 0.25 है0 736 रकबा 0.20 है0 किता रकबा 1.36 है0 भूमि मथूरालाल पुत्र भूराराम हिस्सा पूर्ण जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 11 कस्बा चाकसू के खाते में रहेगी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

फर्द अहकाम

		व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री के साथ नक्शे कुरेजात जू0जू0 रहेगें निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी 13-12-19 उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.13 17:06:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: